न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 129/ 2014

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 दुर्गाप्रसाद पुत्र गोकुलप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खारियानींव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सत्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी चामड़ियाक तहसील 2. सोजत जिला पाली। 3. ढगलाई पुत्री गंगाराम 4. कांतादेवी पुत्री गंगाराम बबली पुत्री गंगाराम जातिगण ब्राह्मण निवासीगण चामड़ियाक तहसील 5. सोजत जिला पाली राजस्थान हाल अमरावती मध्यप्रदेश। 6. भैरूलाल पुत्र शंकरजी जाति ब्राह्मण निवासी चामड़ियाक तहसील सोजत जिला पाली। 7. तहसीलदार (भूमिधारक) एवं उप पंजीयन अधिकारी सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 19/05/2...

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा चामड़ियाक पटवार हल्का रामासनी बालां भू.अ.नि. खारीया नींव तहसील सोजत के ख0नं0 464 रकबा 0.7900 हैक्टर, ख0नं0 492 रकबा 1.4200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि प्रार्थी के मालिकाना हक, कब्जासुदा की स्थित है। जिस पर प्रार्थी के पिता गोकुलराम का वक्त खरीद दिनांक 13/08/1970 से नियमित कब्जा काश्त रहा। प्रार्थी के पिता गोकुलप्रसाद पुत्र जसराज द्वारा मुसस्मी शंकर व गंगाराम पिसरान जवानराम के उक्त कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 354 रकबा 8 बीघा ।IT बिस्वा तथा खसरा नम्बर 335 रकबा 4।T बीघा 5 बिस्वा कुल 13।T बीघा कृषि भूमि को खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। जिसकी शंकर व गंगाराम पिसरान जवानराम द्वारा उप पंजीयन कार्यालय सोजत में दिनांक 13/8/1970 को उपस्थित होकर प्रार्थी के पिता गोकुलप्रसाद के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री निष्पादित की तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया, तब से लेकर प्रार्थी के पिता का तथा उनके देहान्त के बाद आज दिनांक तक प्रार्थी ही एकमात्र मालिक के काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि के सेटलमेंट के पश्चात पुराने खसरा नम्बर 354 रकबा 1.4200 हैक्टर के नये खसरा नम्बर 492 रकबा 1.4200 हैक्टर बने तथा पुराने 335 रकबा 0.7900 हैक्टर के नये खसरा नम्बर 464 रकबा 0.7900

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

हैक्टर बने है। उक्त कृषि भूमि पर बेचान के अनुसार प्रार्थी के मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता अपने व्यापारिक कार्य के कारण ग्राम खारीयानींव व इन्दौर दोनो स्थानों पर रहते तथा समय समय पर उक्त कृषि भूमि की ग्राम चामड़ियाक में आकर देखरेख करते तथा स्वयं तथा काश्तकार से खेती का कार्य करवाते थे, प्रार्थी के पिता ने बेचान रजिस्ट्री के पश्चात नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का को निवेदन किया था, जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया तथा बताया कि नामान्तकरण दर्ज कर दूंगा, जिस पर प्रार्थी के पिता विश्वास पर रहे थे। तत्पश्चात् प्रार्थी के पिता गोकुल प्रसाद का दिनांक 16/3/2004 को देहान्त हो गया और उसके कुछ पश्चात वर्ष में प्रार्थी की माता गीतादेवी का भी दिनांक 29/12/2009 को देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थी की बहिन पुष्पादेवी भी ससुराल चली गई जो पिछले 30 वर्षो से अपने ससुराल में ही है। तथा हिन्दू परिवार में पुरूष कोपार्सर के रूप में है। पुष्पादेवी का किसी प्रकार को कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए प्रार्थी ही एकमात्र मालिक है। प्रार्थी के माता पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी स्वयं नियमित रूप से सरहद मौजा चामड़ियाक आता तथा अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 464 व 492 की सम्पूर्ण देखभाल करता व उपभोग करता था। तथा प्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च कर उक्त कृषि भूमि को उपजाऊ बनाया है। प्रार्थी के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा मूल खातेदारी बेचान कुन्निदा गंगाराम व शंकर पुत्र जवानराम का भी देहान्त हो चुका है, प्रार्थी के पिता द्वारा खरीदसुदा कृषि भूमि का म्यूटेशन पटवारी हल्का से म्यूटेशन भरवाने की कार्यवाही करना बताया तथा मगर पटवारी हल्का द्वारा भूल से प्रार्थी के पिता के नाम बेचान रजिस्ट्री के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं कर सका और प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया तथा बेचानकर्ता शंकर व गंगाराम का भी देहान्त हो चुका है तथा गंगाराम के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अप्रार्थीगण की अब नियत खराब हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रार्थी के पिता को बेचान की गई कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत खराब होने के कारण नाजायज तरीके म्यूटेशन दर्ज करवाकर उक्त कृषि भूमि को बेचान करने की धमकी दी, जिस पर प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तथा प्रार्थी ने अपने काश्तकार के मार्फत अप्रार्थी संख्या 6 को दिनांक 28/8/2014 को एक लिखित प्रार्थना पत्र मय बेचान रजिस्ट्री की प्रति पेश प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 6 ने पटवारी हल्का को रेकर्ड व मौके की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। पटवारी हल्का रामासनी बाला द्वारा जानबूझकर तथा दिनांक 28/8/2014 को आदेश की पालना नहीं कर मन माने तरीके से, विधि विरूद्ध तरीके से दस्तावेज बेचान रजिस्ट्री को नजर अन्दाज कर प्रार्थी के पिता द्वारा खरीदसुदा कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 354 व 335 जिसके नये खसरा नम्बर 464 व 492 की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की कोशिश की, तब प्रार्थी द्वारा तत्काल दिनांक 8/10/2014 को अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा आज दिन तक प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेजात होने के बावजूद भी खातेदारी दर्ज नहीं की। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तथा अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि हड़पना चाहते है, तथा नाजायज रूप से कब्जा करने हेतु ऐलानियां धमकिया देते है, तथा दिनांक 13/10/2014 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने एलानियां धमकियां दी कि हम पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर अन्य व्यक्तियों को बेचान, बक्सीस, रहन इत्यादि कर देंगे तथा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर देंगे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करेंगे। इस प्रकार का नाजायज कृत्य करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं । उसके बावजूद भी नाजायज कृत्य करने को आमदा है। इसलिए अप्रार्थीगण को काब्जा काश्त से नाजायज कृत्य करने से एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु प्रार्थी की कृषि भूमि को नाजायज रूप से अप्रार्थीगण द्वारा बेचान, बक्सीस, रहन, इत्यादि करने से रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 13/8/1970 में खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा भूल से प्रार्थी के पिता के नाम उक्त कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की, आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थी नियमित रूप से मौके पर काबिज काश्त है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थी के पिता को बेचान की गई कृषि भूमि का नाजायज रूप से नामान्तकरण दर्ज करवाकर बेचान, बक्सीस इत्यादि कर देते है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। अप्रार्थीगण को रोका जाकर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 17.12.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। जिसे प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 के तहत आदेश दिनांक 17.12.2014 को अपास्त कर अप्रार्थी संख्या संख्या 1 से 4 को पूनः दिनांक 11.03.2016 को रेकर्ड पर लिया गया। तब से आज दिनांक 09.05.2022 तक जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से जबाब का अवसर समाप्त कर बहस सूनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित है लिहाजा बहस अधिवक्ता प्रार्थी एक पक्षीय सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी के पिता द्वारा क्रय की गई थी किन्तु नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ। प्रार्थी के पिता व बेचानकर्ता गंगाराम व शंकर का भी देहान्त हो चुका है। वर्तमान में गंगाराम व शंकर के वारिसान का भी

उपखण्ड अधिकारी
मोजत

नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ है किन्तु अब वे बेचान सुदा भूमि का अपने नाम से नामान्तकरण दर्ज करने पर उतारू है जिन्है जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय फहरिस्त दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता पर गौर करं मनन किया गया। वस्तुत वादस्थ भूमि का यदि बेचान हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षती होगी जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चामड़ियाक पटवार हल्का रामासनी बालां भू.अ.नि. खारीया नींव तहसील सोजत के ख0नं0 464 रकबा 0.7900 हैक्टर, ख0नं0 492 रकबा 1.4200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि का बैचान रहनकरने व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद्ध किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बांद तकमिल जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 19/05/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत